



संख्या : /जी०एस०/शिक्षा/A11-58(1)/2018

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक 02 अगस्त, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या: memo/Aff/2020-21 दिनांक 21-06-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, मालदेवता, रायपुर, देहरादून को बी०एस-सी (भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)-60 सीट प्रति विषय, बी०एस-सी० (रसायन विज्ञान)-120 सीट, बी०एस-सी० (गृह विज्ञान)-60 सीट एवं बी०कॉम० पाठ्यक्रम में 180 सीट के साथ शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता पर मा० कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में सत्र दर सत्र के आधार पर कार्योत्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

क्र० सं०	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालदेवता, रायपुर, देहरादून	1-बी०एस-सी० (भौतिक विज्ञान, गणित जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) 2-बी०एस-सी० (रसायन विज्ञान) 3-बी०एस-सी० (गृह विज्ञान) 4-बी०कॉम	60 सीट प्रति विषय 120 सीट 60सीट 180सीट	सत्र 2020-21

- निरीक्षण मण्डल की आख्या/कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अस्थायी सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।
- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।
- विश्वविद्यालय महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व महाविद्यालय में पुस्तकालय, फर्नीचर, एवं प्रयोगशाला मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1458 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A11-175/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
- प्राचार्य, रा० स्ना० महाविद्यालय, मालदेवता, रायपुर, देहरादून।
- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।